



SYLLABUS

BIHAR ASSISTANT PROSECUTION OFFICER (APO)

SCHEME OF EXAMINATION

- I. Preliminary Examination (Objective Type)
- II. Main Examination
- III. Interview

| S. No. | Paper | Subjects | Marks | Duration |
|---|--------------|--|-------|----------|
| Preliminary Examination (Objective Type) | | | | |
| 1. | Paper - I | General Studies | 100 | 2 Hours |
| 2. | Paper - II | Law | 150 | |
| Total | | | 250 | |
| Main Examination | | | | |
| 1. | Paper - I | General Studies | 100 | 3 Hours |
| 2. | Paper - II | Hindi Language | 100 | |
| 3. | Paper - III | English Language | 100 | |
| 4. | Paper - IV | Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 | 150 | |
| 5. | Paper - V | Bharatiya Sakshya Adhinyam, 2023 | 150 | |
| 6. | Paper - VI | (i) Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 | 75 | |
| | | (ii) Code of Civil Procedure, 1908 | 75 | |
| 7. | Paper - VII | Indian Constitutional Law | 150 | |
| 8. | Paper - VIII | Others Law | 150 | |

I. PRELIMINARY EXAMINATION

प्रथम पत्र

सामान्य अध्ययन

इस पत्र में सामान्य ज्ञान, (समसामयिक घटनाओं की जानकारी सहित), सामान्य विज्ञान, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, भारतीय राज व्यवस्था तथा भूगोल के भी ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे जिनका उत्तर उम्मीदवार बिना विशेष अध्ययन के भी दे सकते हैं।

द्वितीय पत्र

विधि

इस पत्र में भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 एवं भारतीय संविधान के मौलिक ज्ञान संबंधित प्रश्न सम्मिलित होंगे।





II. MAIN EXAMINATION

- (a) **प्रथम पत्र - सामान्य अध्ययन** - इस पत्र में सामान्य ज्ञान, (समसामयिक घटनाओं की जानकारी सहित), सामान्य विज्ञान, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, भारतीय राज व्यवस्था तथा भूगोल के भी ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे, जिनका उत्तर उम्मीदवार बिना विशेष अध्ययन के भी दे सकते हैं।
- (b) **द्वितीय पत्र - हिन्दी भाषा**- इस पत्र का स्तर वही होगा, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की माध्यमिक परीक्षा में चौथे वर्ग से लगातार हिन्दी का अध्ययन करने वाले परीक्षार्थियों के लिए अभिप्रेत हिन्दी का है। इस परीक्षा में उम्मीदवारों के सरल हिन्दी में अपने भावों को स्पष्टतः एवं शुद्ध शुद्ध व्यक्त करने की क्षमता और परिचित विषयों पर हिन्दी की सहज बोध शक्ति की जाँच की जायेगी। इस पत्र के लिए न्यूनतम योग्यता प्रदायी अंक 30 होगा, जिसे नहीं प्राप्त करने पर उम्मीदवार को लिखित परीक्षा हेतु योग्यता प्राप्त नहीं माना जायेगा। इस पत्र के प्राप्तांक मेधा सूची में नहीं जोड़े जायेंगे।
- (c) **तृतीय पत्र अंग्रेजी भाषा**- इस परीक्षा में उम्मीदवारों के सरल अंग्रेजी में अपने भावों को स्पष्टतः एवं शुद्ध-शुद्ध व्यक्त करने की क्षमता और परिचित विषयों पर अंग्रेजी के सहज बोध शक्ति की जाँच की जायेगी। इस पत्र के लिए न्यूनतम योग्यता प्रदायी अंक 30 होगा, जिसे नहीं प्राप्त करने पर उम्मीदवार को लिखित परीक्षा हेतु योग्यता प्राप्त नहीं माना जायेगा। इस पत्र के प्राप्तांक मेधा सूची में नहीं जोड़े जायेंगे।
- (d) **चतुर्थ पत्र**- भारतीय न्याय संहिता, 2023
- (e) **पंचम पत्र**- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023
- (f) **षष्ठम पत्र**- (क) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023
(ख) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908
- (g) **सप्तम पत्र**- भारतीय संवैधानिक विधि
- (h) **अष्टम पत्र- अन्य विधि** - इस पत्र में निम्नलिखित अधिनियमों से संबंधित प्रश्न पूछे जायेंगे:-
(क) शस्त्र अधिनियम, 1959,
(ख) विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908
(ग) स्वापक औषधियाँ और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985)
(घ) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 का अध्याय- 11 (The Information Technology Act, 2000, Chapter-11)
(ङ) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 का अध्याय- VI और VIII (यथा संशोधित बिहार अधिनियम-8, 2018 एवं बिहार अधिनियम 10, 2020)
(च) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद नियमावली, 2021 एवं 2022
(छ) बिहार पुलिस एक्ट, 2007
(ज) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988
(झ) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989
(ञ) पाँक्सो अधिनियम, 2012

Note: क्रम संख्या (d) से (h) पर अंकित विषयों के प्रश्नों का स्तर वही होगा, जो पटना विश्वविद्यालय के विधि स्नातक परीक्षा के लिए निर्धारित है।





III. INTERVIEW

साक्षात्कार:- साक्षात्कार हेतु 100 अंक निर्धारित है।

नोट

- साक्षात्कार हेतु वैसे ही उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा जो हिन्दी और अंग्रेजी को छोड़कर शेष अन्य विषयों में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक-2374, दिनांक 16.07.2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-962, दिनांक-22.01.2021 द्वारा विभिन्न कोटि के उम्मीदवारों के लिए लिखित परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक, यथा, सामान्य श्रेणी- 40%, पिछड़ा वर्ग- 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग - 34%, तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवं विकलांग उम्मीदवार-32% अंक, प्राप्त करेंगे।
- कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक-2374, दिनांक 16.07.2007 के आलोक में लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर अधियाचित रिक्तियों के ढाई गुना उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा।
- मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। अन्यथा वे अंतिम परीक्षाफल हेतु बनाये जाने वाले मेधा सूची में शामिल नहीं किये जायेंगे।
- मुख्य परीक्षा में प्राप्तांक तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर आयोग अंतिम चयन हेतु मेधा सूची तैयार करेगा। कुल प्राप्तांक समान होने पर मुख्य परीक्षा के प्राप्तांक के अनुसार मेधाक्रम निर्धारित होगा। लिखित परीक्षा में भी प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जायेगी।
- इस विज्ञापन के अन्तर्गत लिखित परीक्षा हेतु पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है।

